न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी—नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः—02/2021 भरण पोषण अधिनियम

शंमिन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री गुलशेर सिंह जाति मजबी आयु 62 वर्ष निवासी गली नं. 07 वार्ड नं. 24 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मनिन्द्र सिंह पुत्र श्री शमिन्द्रपाल सिंह जाति मजबी निवासी गली नं. 07 वार्ड नं. 24 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. मनदीप कौर उर्फ मनप्रीत कौर पत्नी श्री मनिन्द्र सिंह जाति मजबी निवासी गली नं. 07 वार्ड नं. 24 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।

——रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.01.2021 न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या 04/2020 बअनवानी "शमिन्द्रपाल सिंह बनाम मनिन्द्र सिंह आदि" जिसकी रूह से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 आंशिक स्वीकार किया गया, के सम्बन्ध में अपील।

निर्णय

दिनांकः—15.07.2021

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थी वन विभाग में वनपाल के पद से दिनांक 31.10.2018 को सेवानिवृत हो चुका है, अपीलान्ट ने अपने जीवन की कमाई से अपने अंतिम दिनो के लिए एक मकान वार्ड नं. 24, गली नं. 07 हनुमानगढ़ टाउन में बनाया था। अप्रार्थीगण, अपीलान्ट के पुत्र एवं पुत्रवधू है, जिन्होने अपीलान्ट व उसकी पत्नी को कई बार हर तरह की प्रताड़ना दी तथा कई बार मारपीट भी कर दी। अपीलान्ट की पत्नी का देहान्त दिनांक 30.04.2014 को होने के बाद अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से लाखों रूपये जबरन ले चुके है व अपीलान्ट को खाना भी नहीं देते व अपनी मनमानी करने के आदी है। जब तक लाखों रूपये देता रहा तब भी दो चार दिन बाद बिना गाली गलौच व मारपीट के गुजर जाते अन्यथा अप्रार्थीगण, अपीलान्ट के साथ गन्दे से गन्दा सलूक करते है तथा अपीलान्ट ने अप्रार्थीगण को दिनांक 03.05.2019 को बेदखल कर दिया है जिसके बाद अप्रार्थीगण ने अपीलान्ट के मकान का लॉक भी बदलवा दिया तथा मकान का लॉक करने के कारण अपीलान्ट घर में नहीं जा सकता है। अप्रार्थीगण ने अपीलान्ट को धमकी दी है कि वहां से चला जा नही तो तेरे टुकड़े करके तेरा काम तमाम कर देंगे। अप्रार्थीगण ने अपीलान्ट की कार आर.जे. 31 सी.ए. 4378 को भी जबरन छीन लिया तभी से बेघर होकर इधर—उधर रह रहा है। अपीलान्ट की पेंशन से उक्त मकान व कार की लोन की किश्तें 24,171/— रूपये कटती है और अप्रार्थीगण द्वारा मकान का बिजली का बिल भी नहीं भरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है। अपीलान्ट एक वृद्ध व्यक्ति है। अपीलान्ट ने रिश्तेदारों के कहने पर एक मजबूर महिला राजवंश कौर निवासी जण्डीया(पंजाब) से शादी कर ली है। तब से अप्रार्थीगण, अपीलान्ट एवं उसकी पत्नी राजवंश कौर को मकान में नहीं घुसने दे रहे है। अप्रार्थीगण, अपीलान्ट के मकान का सामान बेचकर अपनी मौज मस्ती कर रहे है तथा अपीलान्ट की पेंशन जबरन छीन लेते है जिससे जीना दुर्भर हो गया है तथा साथ ही अपीलान्ट व उसकी पत्नी को अप्रार्थीगण से जानमाल का खतरा बना हुआ है, आदि तथ्यों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भरण पोषण व अपीलान्ट के मकान से अप्रार्थी को बेदखल कर सामान व कार आदि दिलवाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित आये व न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु कई अवसर मांगे लेकिन अप्रार्थीगण ने कोई भी जवाब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनकर अपना आदेश पारित किया जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट श्रीमान जी के समक्ष उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में ऐसा कोई प्रभावशाली आदेश नहीं किया जिसे एक वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा व कल्याण हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलान्ट की कमाई से खड़ा किये हुए मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का आदेश किया और ना ही प्रार्थी की कार व सामान आदि अपीलान्ट को सौंपे जाने का आदेश दिया, ना ही अप्रार्थीगण के घाटा में चल रहे बिजली के बिल को अदा करने से सम्बन्धित आदेश पारित किया। अप्रार्थी संख्या 2 मनदीप कौर उर्फ मनप्रीत कौर ने अपीलान्ट को कपड़े फाड़कर झूठा आरोप लगाने की धमकीयां दी गई है, जिसके चलते अप्रार्थीगण के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर आदेश किया है जिससे अपीलान्ट की सुरक्षा व कल्याण नहीं हो सकता।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान की तामिल जरिये सम्मन होकर प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्टान उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्टान आज दिनांक तक अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट उपस्थित जिनको अपील के कथनों पर सुना गया। अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मैं वृद्ध हुँ। रेस्पोडेन्टान मेरे पुत्र एवं पुत्रवधू है, जिन्होने अपीलान्ट व उसकी पत्नी को कई बार हर तरह की प्रताड़ना दी तथा कई बार मारपीट भी कर दी। अपीलान्ट की पत्नी का देहान्त दिनांक 30.04.2014 को होने के बाद रेस्पोडेन्टान ने अपीलान्ट से लाखों रूपये जबरन ले चुके है व अपीलान्ट को खाना भी नहीं देते व अपनी मनमानी करने के आदी है। अप्रार्थीगण, अपीलान्ट के साथ गन्दे से गन्दा सलूक करते है तथा अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टान को दिनांक 03.05.2019 को बेदखल कर दिया है जिसके बाद रेस्पोडेन्टान ने अपीलान्ट के मकान का लॉक बदलवा दिया तथा मकान को लॉक करने के कारण अपीलान्ट घर में नहीं जा सकता है। रेस्पोडेन्टान ने अपीलान्ट की कार आर.जे. 31 सी.ए. 4378 को भी जबरन छीन लिया तभी से अपीलान्ट बेघर होकर इधर–उधर रह रहा है। मैने अपने जीवन की कमाई से अपने अंतिम दिनो के लिए एक मकान वार्ड नं. 24, गली नं. 07 हनुमानगढ़ टाउन में बनाया था जिसके प्लॉट का पट्टा मेरे नाम से बना हुआ है। अपीलान्ट की पेंशन से उक्त मकान व कार की लोन की किश्तें 24,171/– रूपये कटती है और रेस्पोडेन्टान द्वारा मकान का बिजली का बिल भी नहीं भरा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त फरमाया जावे। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त CWP-38040 of 2018 (O&M) Punjab and Hariyana High Court Mamta Sharma vs Additional Deputy Commissioner..on 05.11.2020 , W.P.(C) 2761/2020 Delhi High Court..on 13.03.2020 Sandeep Gulati vs Div. Commissioner पेश किये है।

पत्रावली व न्यायिक दृष्टान्तो का सःसम्मान अवलोकन किया। अपीलान्ट की यह अपील माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत हैं। अपीलान्ट प्रश्नगत मकान से रेस्पोडेन्टान को बेदखल कर अपीलाण्ट का मकान, कार

आदि सामान दिलाने का अनुतोष चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने से प्रश्नगत भूखण्ड व उस निर्मित मकान व कार अपीलान्ट के नाम से होना पाया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूखण्ड व उस निर्मित मकान व कार अपीलान्ट का है। रेस्पोडेन्टान ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रश्नगत भूखण्ड व उस निर्मित मकान व कार रेस्पोडेन्टान का हो। प्रश्नगत भूखण्ड व उस निर्मित मकान व कार रेस्पोडेन्टान का नहीं होना प्रतीत होता है। उक्त विवेचनानुसार प्रश्नगत भूखण्ड व उस निर्मित मकान व कार अपीलान्ट का होना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2021 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टान को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत मकान वार्ड नं. 24, गली नं. 07 हनुमानगढ़ टाउन व कार आर.जे. 31 सी.ए. 4378 जो अपीलान्ट के है, को अपीलाण्ट को सुपुर्द करे और उसमें कोई दखलन्दाजी नहीं करे। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को वापिस लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पक्षकारों को सूचनार्थ तथा समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़